कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

क्र. 1350 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2020 रायगढ़ दिनांक 27-10-2020

ऑफर दर आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ स्वामित्व की संस्कृत पाठशाला काम्पलेक्स के प्रथम तल में स्थित भवन कक्ष को 03 वर्षीय लीज पर आवंटित किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति / संस्थान दिनांक 16-11-2020 तक इस कार्यालय से आफर प्रपत्र शुल्क 1000/- जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा दिनांक 17-11-2020 तक बंद लिफाफे में निर्धारित अमानत राशि के साथ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं प्राप्त सभी लिफाओं को दिनांक 18-11-2020 समय 04.00 बजे को ऑफरदाताओं के समक्ष खोला जावेगा।

ऑफरदर का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	विवरण	आरक्षित वर्ग	प्रीमियम राशि	मासिक किराया	अमानत राशि
1	भवन कक्ष साईज 654 वर्गफीट	अनारक्षित	10,09,776/-	4039/-	1,00,000/-

नियम व शर्तः-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त लिफाफा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. निर्धारित अमानत राशि आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से लिफाफा के अन्दर ऑफर दर प्रपत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
3. नीलामी ऑफर को निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को होगा इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. अन्य नियम व शर्त ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

(हस्ताक्षर) 19X2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 1350 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2020 रायगढ़ दिनांक 27-10-2020

प्रतिलिपिः-

1. मान. महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ
2. राजस्व प्रभारी एम.आई.सी. नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ
3. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु
5. कार्यालय के वेबसाईट में अपलोड हेतु
6. संपादक .... साईज .... दैनिक समाचार पत्र को सूचनार्थ अपने आगामी अंक में प्रकाशित कर समाचार पत्र की प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर) 19X2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्र. ..../ रा.वि./न.पा.नि./2020 रायगढ़ दिनांक ....

।। दुकान ऑफर हेतु नियम व शर्त ।।

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेगें ।
2. लिफाफा में ऑफर प्रपत्र एवं अमानत राशि 1,00,000/- (एक लाख) का डी.डी. संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा।
3. ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नही होगा । एवं बकायादारों का ऑफर स्वीकार नहीं होगा ।
4. प्रथम एवं द्वितीय ऑफरदाता का अमानत राशि रोककर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा ।
5. नगर पालिक निगम, रायगढ़ कि आधिपत्य की दुकानें छ.ग. नगर पालिक निगम अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994 के प्रावधान अनुसार अतंरण की जायेगी।
6. उच्चतम ऑफरदाता को ऑफर दर स्वीकृति सूचना के 24 घंटे के भीतर उच्चतम ऑफर की 25 प्रतिशत् राशि जमा करना होगा, शेष 75 प्रतिशत् राशि को 30 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा अमानत राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर जमा राशि राजसात करते हुए आबंटन निरस्त कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत प्रीमियम एवं किराया राशि में नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. जमा करना होगा ।
8. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा 25 प्रतिशत् राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय बोलीदार/ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
9. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर 25 प्रतिशत् राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए, द्वितीय ऑफरदाता की राशि स्वीकृत करते हुए राशि जमा करने हेतु सूचित किया जावेगा। द्वितीय ऑफरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए भवन कक्ष पुर्ननीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
10. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् लीज धारी स्वयं के व्यय से नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा तथा पंजीयन खर्च वहन करेगा।
11. लीजधारी द्वारा किराये की राशि प्रत्येक 30 तारीख के भीतर जमा करेगा। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना होगा।

19/X/2020

Scanned with CamScanner

12. लीज अवधि 03 वर्ष के लिये होगा लीज अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तदउपरॉत अगले 03 वर्ष के लिये विस्तार योग्य होगा तथा किराये में 15 प्रतिशत् तक वृद्धि कर लीज नवीनीकरण किया जा सकेगा।
13. भवन कक्ष यथा स्थिति में आबंटित किया जावेगा, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ से अनुमति प्राप्त कर मरम्मत कार्य लीज धारी द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा जिसका नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दिया जावेगा।
14. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं करना होगा।
15. भवन कक्ष में किसी प्रकार का स्वरुप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
16. लीज धारी को जिस साईज की भवन कक्ष आबंटित की गई हो उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। उपर तल या नीचले तल में संबंधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।
17. लीज धारी के द्वारा निर्धारित समय पर किराया जमा नहीं करने एवं लीज नवीनीकरण नहीं कराने पर दुकान आबंटन निरस्त किया जावेगा।
18. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
19. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

19/x/2020

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner